

# बिहार गजट

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 494)

पटना, मंगलवार, 6 सितम्बर 2011

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

2 सितम्बर 2011

एस0 ओ0 245, दिनांक 6 सितम्बर, 2011—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा—18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**—(1) यह नियमावली बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तूरत प्रवृत होगी।
  - 2. परिभाषाएँ | (1) इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो-
- (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011);
  - (ख) "केन्द्र सरकार" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग;
- (ग) ''अंचल'' से अभिप्रेत है समय–समय पर इस निमित्त निर्गत सरकारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्य–कर प्रशासन की एक इकाई, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई कर निर्धारीती अथवा नियोजक अवस्थित हो;
- (घ) "अंचल प्रभारी" से अभिप्रेत है अंचल का प्रभारी वाणिज्य—कर उपायुक्त, वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य—कर पदाधिकारी अथवा इस निमित्त आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत पदाधिकारी;
- (ङ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा—10 के अधीन नियुक्त आयुक्त एवं इसमें बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा—10 के अधीन नियुक्त अपर आयुक्त शामिल है;
- (च) '''उपायुक्त, वाणिज्य—कर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा—10 के अधीन नियुक्त उपायुक्त, वाणिज्य—कर:
- (छ) ''संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य—कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा—10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त;
- (ज) ''वार्ड'' से अभिप्रेत है किसी अंचल के भीतर समय—समय पर, इस निमित्त आयुक्त द्वारा निर्गत आदेश में यथाविनिर्दिष्ट प्रशासनिक इकाई;

- (झ) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विहित फारम;
- (ञ) कर निर्धारीती अथवा नियोजक के संबंध में, ''सरकारी कोषागार'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, उस जिला या अनुमंडल का कोषागार या उप—कोषागार जिसमें ऐसा कर निर्धारीती या नियोजक निवास करता हो;
  - (ट) 'धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
  - (ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
  - (ड) ''उप–धारा'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा की कोई उप–धारा;
  - (ढ) "कर" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन संदेय कर।
- 3. निबंधन I— (1) धारा—5 द्वारा निबंधित होने हेतु अपेक्षित हरेक नियोजक ऐसे अंचल प्रभारी को अधिनियम के अधीन निबंधन हेतु फारम PT-I में आवेदन देगा जिसके अंचल की सीमाओं में नियोजक का कार्यालय अवस्थित हो। ऐसा आवेदन नियोजक के निबंधनापेक्षी होने के सात दिनों के भीतर या तो अंचल के काउंटर पर अथवा वाणिज्य—कर विभाग के शासकीय वेब साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से दाखिल किया जायेगा एवं उक्त आवेदन इसके बाद विनिर्दिष्ट रीति से परिष्कृत किया जायेगाः

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से व्यक्तियों के नियोजित करनेवाले नियोजक द्वारा ऐसा आवेदन नियमावली के प्रवृत्त होने के तीस दिनों के भीतर दिया जायेगा।

- (२)(क) उप–नियम (1) के अधीन इलेट्रॉनिक रीति से दाखिल किये गए आवेदन के मामले में संबंधित अंचल का प्रभारी यह सत्यापित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये है, आवेदन दाखिल किये जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर, फारम PT-II में निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा।
- (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र में नियोजक को उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियोजक को आवंटित निबंधन संख्या अंकित होगी एवं उक्त निबंधन संख्या, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजक को आवंटित '10' अंको द्वारा पहले लगायी गयी ''कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या'' होगी;

परन्तु नियोजक को, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या आवंटित नहीं होने की दशा में, निबंधन संख्या उसे आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजक को आवंटित "10 अंको द्वारा पहले लगायी गयी" स्थायी लेखा संख्या" (PAN) होगी।

- (ग) आवेदक को निबंधन प्रमाण-पत्र-
- (i) उसके ई-मेल एकाउंट पर, यदि उसने ऐसा ई-मेल पहचान प्रस्तुत किया हो, अथवा
- (ii) उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पते पर निबंधित डाक द्वारा, भेजा जायेगा।

स्पष्टीकरण।—इस उप—नियम के प्रयोजनार्थ, पद "नियोजक से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायी व्यक्तियों को नियोजित करनेवाली, यथास्थिति, कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, व्यक्तियों का संगम, अविभक्त हिन्दू परिवार, निगमित, निकाय, पर्षद, प्राधिकार, उपक्रम अथवा निगम।

- (3)(क) उप–नियम (1) के अधीन यदि आवदेन इलेक्ट्रॉनिक रीति से नहीं दाखिल की गई हो तो ऐसा आवेदन संबंधित अंचल के काउंटर पर जमा किया जायेगा। काउंटर प्रभारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये है एवं आवेदन हस्ताक्षरित है–
  - (i) उस व्यक्ति को इसके बदले एक रसीद निर्गत करेगा; तथा
  - (ii) इसे कम्प्यूटर में संधारित पंजी PT-III में दर्ज करेगा।
- (ख) इसके पश्चात् सम्बधिन्त अंचल का प्रभारी, आवेदन दाखिल करने के पन्द्रह दिनों के भीतर, प्रपत्र PT-II में निबंधन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।
- (ग) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाण—पत्र में नियोजक को उप—नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित निबंधन संख्या अंकित होगी एवं उक्त निबंधन संख्या, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयोजकों को आवंटित 10 अंको द्वारा पहले लगायी गयी कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या होगी :

परन्तु नियोजक को आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या आवंटित नहीं होने की दशा में ऐसे नियोजक की निबंधन संख्या उसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आयोजकों को आवंटित 10 अंको द्वारा लगायी गयी स्थायी लेखा संख्या (PAN) होगी।

- (घ) आवेदक को निबंधन प्रमाण-पत्र-
- (i) उसके ई-मेल एकाउंट पर, यदि उसने ऐसा ई-मेल पहचान प्रस्तुत किया हो; अथवा
- (ii) उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पते पर निबंधित डाक द्वारा; भेजा जायेगा।

स्पष्टीकरण।— इस उप—नियम के प्रयोजनार्थ, पद "नियोजक से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायी व्यक्तियों को नियोजित करनेवाली, यथास्थिति, कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, व्यक्तियों का संगम, अभिव्यक्त हिन्दू परिवार, निगमित, पर्षद, प्राधिकार, उपक्रम अथवा निगम।

(4) ऐसे मामले में जहां किसी वेतन अथवा मजदूरी का भुगतान कर निर्धारीती को करने का दायी व्यक्ति, बिहार राज्य के बाहर अवस्थित हो, वहाँ उप—नियम (1) के अधीन आवेदन बिहार राज्य में प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। 4. नामांकन |— (1) ऐसा प्रत्येक कर निर्धारीती जिसपर धारा—5 का द्वितीय परन्तुक तथा धारा 6 की उप—धारा (2) लागू होती हो, अधिनियम के अधीन नामांकन हेतु उस अंचल के प्रभारी को प्रपत्र PT-lक में आवेदन करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में कर निर्धारीती निवास करता हो। ऐसा आवेदन अधिनियम के अधीन निर्धारीती की कर देयता के सात दिनों के भीतर या तो अंचल के काउंटर पर अथवा वाणिज्य—कर विभाग के शासकीय वेब साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से दाखिल किया जायेगा एवं उक्त आवेदन इसके बाद विनिर्दिष्ट रीति से परिष्कृत किया जायेगा:

परन्तु अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व से किसी पेशा, व्यापार, आजिविका अथवा नियोजन में लगे हुए किसी कर निर्धारीती द्वारा ऐसा आवेदन अधिनियम के प्रवृत्त होने के नब्बे दिनों के भीतर दिया जायेगा।

- (2) नामांकन प्रमाण-पत्र फारम PT-IIक में होगा।
- (3) नियम 3 के उप—नियम (2) एवं उप—नियम (3) के प्रावधान उप—नियम (1) के अधीन किये गये नामांकन हेतु आवेदन के संबंध में यथाआवश्यक परिवर्त्तनों सहित लागू होंगे।
- 5. वेतन अथवा मजदूरी से कर की कटौती।— (1) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह की कर्मचारी को भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से प्रत्येक कर्मचारी द्वारा भुगतेय कर की कटौती करेगा।
- (2) उप—िनयम (1) के अधीन कटौती किया गया कर उप—िनयम (1) में निर्दिष्ट नियोजक द्वारा नियम 7 में विहित रीति से सरकारी कोषागार में तुरत आगामी माह जिसमें उसकी कटौती की गयी हो, नवम्बर के पंद्रहवे को अथवा उसके पूर्व जमा किया जायेगा।
- (3) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नियोजक, किसी वर्ष के संबंध में कटौती किए गए कर के ब्यौरे को अंतर्विष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह के अंत को या पूर्व एक विवरणी विहित प्राधिकारी को भेज देगा।
- (4)(क) उप—नियम (1) अथवा उप—नियम (2) अथवा उप—नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले में फारम जहां कोई कर निर्धारीती—
- (i) सितम्बर माह का वेतन अथवा मजदूरी भुगतान हो जाने के पश्चात्, अधिनियम के अधीन कर का दायी होता हो; अथवा
- (ii) सितम्बर माह का वेतन अथवा मजदूरी भुगतान हो जाने के पश्चात अधिनियम के अधीन कर के रूप में अधिक राशि भुगतान करने का दायी होता हो, तो उप—िनयम (1) में निर्दिष्ट नियोजक, कर निर्धारीती को उक्त सितम्बर माह के बाद वाले फरवरी माह के संबंध में भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से यथास्थिति कर अथवा, अधिक कर की राशि की कटौती करेगा।
- (5) उप–नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट नियोजक द्वारा उप–नियम (4) के अधीन कटौती की गई कर की राशि नियम 7 में निर्दिष्ट रीति से सरकारी कोषागार में आगामी माह जिसमें उसकी कटौती की गयी हो, अप्रील माह के पंद्रहवें दिन को या उसके पूर्व जमा की जायेगी।
- (6) उप—नियम (5) के अधीन कर जमा करनेवाला प्रत्येक नियोजक उप—नियम (4) के अधीन कटौती किए गए कर के ब्यौरे को अंतर्विष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के मई माह के अंत के पूर्व एक विवरणी विहित प्राधिकारी को भेजेगा।
- (७) उप—िनयम (1) अथवा उप—िनयम (4) के अधीन कर का कटौती करनेवाला प्रत्येक नियोजक, ऐसे कर्मचारी को, जिसके वेतन अथवा मजदूरी से कर की कटौती हुई हो फारम PT-VI में प्रमाण—पत्र निर्गत करेगा।
- (४) उप—नियम (३) अथवा उप—नियम (६) में निर्दिष्ट विवरणी उस रीति से दाखिल की जायेगी एवं निपटायी जायेगी जो, अधिसूचना द्वारा, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।
- (९)(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसपर धारा 5 के द्वितीय परन्तुक के प्रावधान लागू होते हों, नियोजक द्वारा उसको किसी वेतन अथवा मजद्री के भृगतान के पूर्व अपने नियोजक को फारम PT-VII में प्रमाण–पत्र देगा।
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र देने में विफलता की दशा में, नियोजक कर्मचारी को भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से भुगतेय कर की कटौती करेगा।
- 6. विवरणी I— (1) अधिनियम के अधीन निबंधित प्रत्येक नियोजक किसी वर्ष के संबंध में किए गए कर की कटौती के ब्यौरे को अन्तर्विष्ट करते हुए विहित प्राधिकारी को फारम PT-VIII में वार्षिक विवरणी संबंधित वर्ष समाप्त होने के बाद वाले जून माह के अंत को या उसके पहले देगा।
- (2) अधिनियम के अधीन नामांकन प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, विहित प्राधिकारी को, फारम PT-IX में वार्षिक विवरणी संबंधित वर्ष के समाप्त होने के बाद वाले जून माह के अंत को या उसके पहले देगा।
- (3) उप—नियम (1) अथवा उप—नियम (2) में निर्दिष्ट विवरणियां उस रीति से जो आयुक्त द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाय, दाखिल की जायेगी एवं निपटायी जायेगी।
- 7. **संदाय** ।— (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे अधिनियम के अधीन कोई कर अथवा ब्याज अथवा शास्ति अदा करने की अपेक्षा की जाय, कर अथवा ब्याज अथवा शास्ति की रकम फारम PT-IX में चालान द्वारा सरकारी कोषागार अथवा आयुक्त द्वारा, इस बावत प्राधिकृत किसी बैंक में अदा करेगा।
- (2) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग अथवा विवरण के व्यक्तियों से कर या ब्याज या शास्ति की राशि के वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब साईट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रीति से भुगतान की अपेक्षा कर सकेगा।

- 8. सुनवाई I— (1) नियम 9 में निर्दिष्ट प्राधिकारी, धारा 7 की उप—धारा (3) के अधीन कार्यवाही के मामले में, उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो, नोटिस तामिल करेगा अथवा करवायेगा, जिसमें अभियोग का सारांश, सुनवाई की तारीख, जो नोटिस निर्गत करने की तारीख से अधिक से अधिक तीस दिनों एवं कम से कम सात दिनों की नोटिस तथा सुनवाई की तिथि अंतर्विष्ट होगी।
- (2) उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो, सुनवाई के लिए नियत तारीख को, यथा स्थिति, अपने विरुद्ध लगाये गए अभियोग का खंडन करने अथवा कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधारों का उत्तर देने की अनुमित दी जायेगी, किन्तु सामान्यतः उसे स्थगन की अनुमित नहीं मिलेगी। यदि कोई स्थगन आवश्यक हो तो नियम 9 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।
- (3) सुनवाई के बाद उप—िनयम (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी एक आदेश अभिलिखित करेगा, जिसमें संक्षेप में किन्तु स्पष्ट रूप से यथास्थिति, अभियोग का सारांश अथवा जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो, उसे इसके संबंध में अवगत कराने की रीति, कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधार का उत्तर अथवा दिया गया उत्तर, यदि कोई हो और उस पर किया गया विनिश्चय, अंतर्विष्ट होगा।
- (4) उप–नियम (3) के अधीन पारित आदेश की एक सच्ची प्रतिलिपि दे दी जायेगी, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो।
- 9. **अधिनियम के कतिपय धाराओं के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी।** अधिनियम की धारा—6 के प्रयोजनार्थ, अंचल प्रभारी विहित प्राधिकारी होंगे तथा धारा—7, 8, 9 तथा 14 हेतु उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं वाणिज्य—कर पदाधिकारी विहित प्राधिकारी होंगे।
- 10. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के कितपय उपबंधों का लागू होना।— अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी प्रक्रिया तथा अनुषांगिक अन्य मामलों, जिनके लिए इस नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया हो, अथवा अपर्याप्त उपबंध किये गए हों के संबंध में बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के सुसंगत उपबंध, आवश्यक परिवर्त्तनों सहित, लागू होंगे।
- 11. नियमों के उल्लंघन हेतु दंड |— इस नियमावली में किसी उपबंध का उल्लंघन करनेवाला कोई व्यक्ति पाँच सौ रुपये से अनिधक की शास्ति और जहाँ उल्लंघन करना जारी रहता हो वहाँ उल्लंघन जारी रहने की अविध में प्रतिदिन दस रूपयों से अनिधक शास्ति से दंडनीय होगाः

परन्तु ऐसी शास्ति अधिरोपित करनेवाला विहित प्राधिकारी नियमावली अथवा उसके किसी उपबंध का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा।

#### फारम - PT-I

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा—5 के अधीन निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

	кин каралы каралы каралы жана жана жана жана жана жана жана жан
	(देखें नियम 3)
	वाणिज्य-कर अंचल
सेवा में,	
,	
	में
	। ।शा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम 2011 की धारा– 5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र
	हेतु निम्नलिखित दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करता हूँ—
	(1) पूरा नाम–
	(१) पता (मकान सं०/दुकान सं०/मोहल्ला/पोस्ट ऑफिस/थाना/प्रखंड/जिला इत्यादि का ब्योरा दें)—
	(3) स्थायी लेखा संख्या—
	(4) टेलीफोन संख्या—
	(5) फैक्स संख्या–
	(6) ई-मेल-
	(7) कर दायित्व की तिथि—
	(8) बैंक संबंधी जानकारियाँ (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं०)—
	में एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में सही और
पूर्ण हैं।	•
C	
स्थान–	अावेदक का हस्ताक्षर
_	

आवेदन व्यक्ति की दशा में स्वामी, अविभक्त हिन्दु परिवार की दशा में कर्त्ता, फर्म की दशा में प्राधिकृत साझेदार, कंपनी या निगम की दशा में प्रबंध निदेशक, प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, समिति, क्लब, संस्था, सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकार की दशा में प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी या प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

	विहार गजट (असाधारण), ६ सितम्बर २०११	5
	फारम– PT-IA	
बिहार	ं पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा—5 एवं 6(2) के अधीन हेतु आवेदन प्रपत्र (देखें नियम 4)	निबंधन
	वाणिज्य-कर अंचर	ल
नेवा में,		
	मैं(पूरा नाम), पिता(पूरा नाम), पिता(पूरा नाम), पिता(। ।रा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम 2011 की धारा– 5 के अधीन	पूरा नाम
१तद् ह्व। ामाण–प	पत्र देने हेतु आवेदन और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशिष्टियाँ देता हूँ–	न ।निष्धः
	(1) पूरा नाम—	
	(2) पता (मकान सं०/दुकान सं०/मोहल्ला/पोस्ट ऑफिस/थाना/प्रखंड/जिला इत्यादि)— (3) स्थायी लेखा संख्या—	
	(4) टेलीफोन संख्या–	
	(5) फैक्स संख्या—	
	(6) ई—मेल—	
	(७) कर-दायित्व की तिथि-	
	(8) बैंक —ब्योरा (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं०)—	
	(9) पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन की प्रकृति—	
नं सही	मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी और पूर्ण हैं।	र ।वश्वार
थान	अवेदक का हस्ताक्षर	
_	पदनाम	
	फारम— PT-II	
बिह	हार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा—5 के अधीन निबंधन	न हेत्
	प्रमाण–पत्र	5
	(देखें नियम 4)	
सेवा में,	वाणिज्य-कर अंचल	
,		
	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती का निबंधन बिर	हार पेशा
	आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन किया जाता है और उनका निबंधन है।	संख्या
	छ । 2. वे आजीविका एवं कार्य निय ग्रम, 2011 के अधीन कर जमा कर सकेगें।	गोजन कर
๚๚๚๚	11, 2011 4/ 9/411 4/1 9/11 4/1 114/11	

दिनांक .....

निर्गमन प्राधिकृत का हस्ताक्षर .....

पदनाम ..... कार्यालय का मुहर .....

#### फारम- PT-IIA

बिहार	पेशा, व्यापार, आजीविक	ा एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धार निबंधन हेतु प्रमाण–पत्र (देखें नियम 4)	1—5 और धारा—6(2) के अधीन				
सेवा में,	वाणिज्य—कर	का कार्यालय	अंचल				
सवा म,							
	ठा एवं कार्य नियोजन क आवंटिः		या है और उनको निबंधन संख्या				
अधिनिय	2. वे म, 2011 के अधीन कर १	की तिथि से बिहार पेशा, व्यापार, 3 भगतान हेत दायी हैं।	गाजीविका एवं कार्य नियोजन कर				
			ताक्षर				
दिनांक .		पदनामं					
		कार्यालय का मुहर					
		फारम— PT-III					
बिहार प	पेशा, व्यापार, आजीविका	एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्रपत्र	न पेशा—कर निबंधन हेतु आवेदन				
		प्रपत्र (देखें नियम 3 और 4)					
	वाणिज्य–कर	र का कार्यालय	अंचल				
सेवा में,							
	·····································		(ਸਹਾ ਜਾਸ)				
एतद द्वा	मैं(पूरा नाम), पिता(पूरा नाम), पिता (पूरा नाम) एतद् द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम 2011 की धारा– 5 के अधीन निबंधन						
प्रमाण-पत्र निर्गमन हेर्तु आवेदन और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशिष्टियाँ देता हूँ-							
	पूरा नाम	पता (मकान सं० / दुकान सं० / मोहल्ला / पोर ऑफिस / थाना / प्रखंड / जिला इत्यादि)	ट स्थायी लेखा संख्या				
	1	2	3				

टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या	ई—मेल	कर देयता की तिथि	बैंक संबंधी जानकारियाँ (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं०)

#### फारम– PT-IV

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कटौती की विवरणी (देखें नियम 5)

- (1) सरकारः केन्द्रीय / राज्य-
- (2) विभाग / मंत्रालय-
- (3) नियोक्ता का नाम पूर्ण विवरण के साथ-
- (4) पदनाम-
- (5) वर्ष-
- (6) व्यक्तियों की संख्या जो संबंधित वर्ष का वेतन या खर्च वहन करेगा—

क्रम सं०	निर्धारीती का नाम	पदनाम	स्थायी लेखा संख्या	वर्ष का आय	देयकर	कर की कटौती
1	2	3	4	5	6	7
कुल						

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवर सत्य व सही है और मैं हस्ताक्षर करने और यह विवरणी दाखिल कर	णी में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण रने के लिए सक्षम हूँ।
देनांक ह	इस्ताक्षर
स्थान	पदनाम

#### फारम- PT-V

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कटौती की विवरणी (देखें नियम 5)

- (1) सरकारः केन्द्रीय / राज्य-
- (2) विभाग / मंत्रालय—
- (3) नियोक्ता का नाम पूर्ण विवरण के साथ-
- (4) पदनाम-
- (5) वर्ष-
- (6) व्यक्तियों की संख्या जो संबंधित वर्ष का वेतन या खर्च वहन करेगा—

क्रम	निर्धारीती का	पदनाम	स्थायी लेखा	वर्ष का आय	देयकर	कर जिसकी	कर
सं०	नाम		संख्या			कटौती की	जिसकी
						गयी	कटौती
							कर जिसकी कटौती होनी है
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

मैं एतद् द्वारा घो	षणा करता/करती हूँ वि	के उपरोक्त विवरणी	में दी गयी वि	विशिष्टियाँ मेरी	जानकारी में पूर्ण
सत्य व सही है और मैं हर	ताक्षर करने और यह वि	वरणी दाखिल करने	के लिए सक्षम	। हूँ।	

दिनांक	हस्ताक्षर
स्थान	पदनाम

#### फारम– PT-VI

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कर कटौती की विवरणी का प्रमाण—पत्र [(देखें नियम 5(7)]

प्रमाणित किया जाता है कि मैं	(पूरा नाम), पिता
(पूरा नाम) कटौती किये ग	ये रकम (रू० शब्दों में)
वेतन/खर्च के रूप में भुगतान व	ने (महीना व वर्ष) के मद में करता हूँ।
	वर्च को उपरोक्त नियोजक का नाम के लिए वर्ष
है।	
चालान नं० दिनांक	
	व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011
के अधीन निबंधित हूँ और मेरा निबंधन संख्या	
म एतद् द्वारा धाषणा करता/करता हू कि उ पूर्ण सत्य व सही है।	परोक्त प्रमाण–पत्र में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में
दिनांक	हस्ताक्षर
स्थान	पदनाम
* यदि संबंधित न हो तो काट दें।	
फारम-	– PT-VII
का प्र	अधिनियम, 2011 की धारा—5 के अधीन कटौती की विवरणी माण—पत्र नियम 5)
सेवा में,	
······································	
अंचल।	(— —)
प्रमाणित किया जीता है कि मेंप्रमाणित किया जीता है। (एज नाम) बिराज प्रेमा लगा	(पूरा नाम),    पिता गार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के
	है और मैं सर्वश्रीहै और में सर्वश्री
(संस्था का नाम) के साथ(प	पदनाम) और सर्वश्री
(संस्था का ना	म) के साथ(पदनाम) पर कार्यरत
हूँ।	
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उप पूर्ण सत्य व सही है।	ारोक्त प्रमाण–पत्र में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में
दिनांक	हस्ताक्षर
स्थान	नामांकन संख्या

है ।

#### फारम- PT-VIII

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा—7 के अधीन विवरणी। (अपने कर्मचारी को वेतन / मजदूरी में से कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा यह समर्पित किया जायेगा) [देखें नियम (6)]

सरकार : केन्द्र / राज्य—
विभाग / मंत्रालय—
कर्मचारी का नाम पूरा विवरण के साथ—
निबंधन संख्या—
पदनाम—
वर्ष—

- 1. निर्धारितियों का कुल संख्या / कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन / मजदूरी
- 2. कटौतियों के ब्योरे-

आय स्त्रोत	निर्धारितियों की संख्या	कुल दिया गया वेतन / मजदूरी	कुल कर कटौती
(क) रू० तीन लाख से कम		पराग/ नजपूरा	कटाता
(ख) रू० तीन लाख से अधिक किन्तु रू०			
पाँच लाख से कम			
(ग) रू० पाँच लाख से अधिक			
किन्तु रू० दस लाख से कम			
(घ) रू० दस लाख से अधिक			
कुल			

- 3. कुल रकम जो कर के वास्ते दिया गया— रकम (रूपये) (चालान संख्या/चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक)
- 4. यदि कोई विवरणी फारम यथा PT-IV और PT-V हो, तो संलग्न करें।
- में एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस रिटर्न में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है और मैं इस रिटर्न को दाखिल और हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूँ।

दिनांक	हस्ताक्षर
स्थान	पदनाम

#### फारम- PT-IX

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा—7 के अधीन विवरणी रा अधिनियम के अधीन समर्पित किया जायेगा) [देखें नियम (6)]
नाम :	[(3,1),(0)]
नामांकन संख्या : कर्मचारी / नियोजकों का नाम, यदि हो तो : वर्ष : (1) चालू वर्ष की कुल आय : (2) जमा करने वाला कर : (3) कर के माध्यम से जमा की गयी व रकम (रूपये)	कुल रकम : (चालान संख्या / चेक / डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक)
में एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस	रेटर्न में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही
दिनांक	हस्ताक्षर पदनाम

14(1/1-1616-(6)/(14/1/17), 6-1/(16-4/12-6)						
	प्रति	द्वितीय प्रति				
(कोषागार के द्वारा संबंधि	त अंचल को भेजा जायेगा)	(संबंधित कोषागार में रखी जायेगी)				
फारम	PT-X	फारम PT-X				
बिहार पेशा, व्यापार, आजी	विका एवं कार्य नियोजन	बिहार पेशा, व्यापार, आज	नीविका एवं कार्य नियोजन			
कर अधिनियम, 2011 के उ	अधीन चालान	कर अधिनियम, 20°	11 के अधीन चालान			
[देखें र्	नेयम 7]	[देखें र्	[देखें नियम 7]			
क्रमांक संख्या		क्रमांक संख्या	क्रमांक संख्या			
कोषागार		कोषागार				
बैंक का नाम		बैंक का नाम				
ब्राँच कोड		ब्रॉच कोड				
मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष				
लघु शीर्ष		लघु शीर्ष				
बिहार पेशा, व्यापार, आजी	विका एवं कार्य नियोजन	बिहार पेशा, व्यापार, आजी	विका एवं कार्य नियोजन			
कर अधिनियम, 2011 के उ	मधीन प्राप्ति रसीद	कर अधिनियम, 2011 के 3	मधीन प्राप्ति रसीद			
विविध प्राप्ति रसीद		विविध प्राप्ति रसीद				
बिहार पेशा, व्यापार, आजी	विका एवं कार्य नियोजन	बिहार पेशा, व्यापार, आजी	विका एवं कार्य नियोजन			
कर अधिनियम, 2011		कर अधिनियम, 2011				
चालान का रकम जो बैंक		चालान का रकम जो बैंक को दिया गया				
समाप्ति वर्ष		समाप्ति वर्ष के लिए				
अंचल का नाम जिससे भुग		अंचल का नाम जिससे भुगतान संबंधित है				
जिनके द्वार निविदत्त किया	ं गया	जिनके द्वार निविदत्त किया	जिनके द्वार निविदत्त किया गया			
खाता पर रकम	रकम	खाता पर रकम	रकम			
स्वीकृत कर		स्वीकृत कर				
ब्याज		ब्याज				
शास्ति		शास्ति				
फीस		फीस				
अपील फीस		अपील फीस				
विविध		विविध				
कुल		कुल				
रूपये (शब्दों में)		रूपये (शब्दों में)				
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर				
कोषागार में उपयोग के लिए		कोषागार में उपयोग के लिए				
मैनें प्राप्त किया रू०		मैनें प्राप्त किया रू०				
(#o)		(4.6)				
2. प्रविष्टि की तिथि		2. प्रविष्टि की तिथि				
चेक नम्बर		चेक नम्बर				
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी	री कोषागार लेखापाल कोषागार पदाधिकारी				
	अभिकर्ता /		अभिकर्ता / बैंक प्रबंधक			
	बैंक प्रबंधक					

विहार गणि (असावारण), ७ सिर्वान्यर २०११				
	र प्रति	चतुर्थ प्रति		
(व्यवसायी / जमाकर्ता को उनके उपयोग हेतु लौटायें)		(व्यवसायी / जमाकर्ता को समुचित वाणिज्य-कर		
		प्राधिकारी को भेजे जाने हेतु लौटायें)		
फारम	PT-X	फारम	r PT-X	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीवि	का एवं कार्य नियोजन कर	बिहार पेशा, व्यापार, आर्ज	विका एवं कार्य नियोजन कर	
अधिनियम, २०११ के अधीन	चालान	अधिनियम, 201	1 के अधीन चालान	
	नेयम 7]		नियम 7]	
क्रमांक संख्या	<del>-</del>	क्रमांक संख्या	=	
कोषागार		कोषागार		
बैंक का नाम		बैंक का नाम		
ब्राँच कोड		ब्रॉच कोड		
मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष		
लघु शीर्ष		लघु शीर्ष		
बिहार पेशा, व्यापार, आजीवि		बिहार पेशा, व्यापार, आजी	वेका एवं कार्य नियोजन कर	
अधिनियम, २०११ के अधीन		अधिनियम, २०११ के अधीन		
विविध प्राप्ति रसीद		विविध प्राप्ति रसीद		
बिहार पेशा, व्यापार, आजीवि	का एवं कार्य नियोजन कर	बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर		
अधिनियम, २०११		अधिनियम, 2011		
चालान का रकम जो बैंक क		चालान का रकम जो बैंक को दिया गया		
समाप्ति वर्ष	के लिए	समाप्ति वर्ष	के लिए	
अंचल का नाम, जिससे भुगव	तान संबंधित है	अंचल का नाम, जिससे भुग	ातान संबंधित है	
जिनके द्वारा निविदत्त किया	गया	जिनके द्वारा निविदत्त किय	ा गया	
खाता पर रकम	रकम	खाता पर रकम	रकम	
स्वीकृत कर		स्वीकृत कर		
ब्याज		ब्याज		
शास्ति		शास्ति		
फीस		फीस		
अपील फीस		अपील फीस		
विविध		विविध		
कुल		कुल		
रूपये (शब्दों में)		रूपये (शब्दों में)		
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर		
कोषागार में उ		कोषागार में उपयोग के लिए		
मैनें प्राप्त किया रू०		मैनें प्राप्त किया रू०		
(40°)		( <u>#</u> o)		
२. प्रविष्टि की तिथि		2. प्रविष्टि की तिथि		
चेक नम्बर		चेक नम्बर		
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी	कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी	
	अभिकर्ता / बैंक प्रबंधक		अभिकर्ता / बैंक प्रबंधक	

	ाम प्रति			
(बैंक के द्वारा संबंधित अंचल को भेजा जायेगा)				
(बंध) के द्वारा संबंधित जवल की नेवा जावना) फारम PT-X				
कारम बिहार पेशा, व्यापार, आजीविक				
ाबहार पशा, व्यापार, आजााव अधिनियम, 2011 के अधीन र	का एवं काय नियाजन कर			
	नियम 7]			
क्रमाक संख्या				
कोषागार				
बैंक का नाम				
ब्राँच कोड				
मुख्य शीर्ष				
लघु शीर्ष				
बिहार पेशा, व्यापार, आजीवि	का एवं कार्य नियोजन कर			
अधिनियम, २०११ के अधीन प्र	ग्रप्ति रसीद			
विविध प्राप्ति रसीद बिहार पेशा, व्यापार, आजीवि				
बिहार पेशा, व्यापार, आजीवि	का एवं कार्य नियोजन कर			
अधिनियम, 2011				
चालान का रकम जो बैंक क	ो दिया गया			
समाप्ति वर्ष	. के लिए			
अंचल का नाम, जिससे भुगत	गन संबंधित है			
जिनके द्वारा निविदत्त किया	गया			
खाता पर रकम रकम				
स्वीकृत कर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अपील फीस				
विविध				
कुल				
रूपये (शब्दों में)				
हस्ताक्षर				
कोषागार में उपयोग के लिए				
मैनें प्राप्त किया रू०				
(#o)				
2. प्रविष्टि की तिथि				
चेक नम्बर				
कोषागार लेखापाल कोषागार पदाधिकारी				
	अभिकर्ता / बैंक प्रबंधक			
	1 2011 107 11 7011 1			

[सं० सं० बिक्री कर/अन्य कर-04/2011—3747(अनु०)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजित पुनहानी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

#### 2 सितम्बर 2011

एस0 ओ0 246, एस0 ओ0 245, दिनांक 6 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> [सं० सं० बिक्री कर/अन्य कर-04/2011—3747(अनु०)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजित पुनहानी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

#### *The 2<sup>nd</sup> September 2011*

- S.O. 245, dated 6<sup>th</sup> September, 2011—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act, 10,2011) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules.
- 1. Short title, extent and commencement. (1) These Rules may be called the Bihar Professional Tax Rules, 2011.
  - (2) It shall extend to the whole state of Bihar.
  - (3) These rules will come into force at once.
- 2. Definitions. (1) In these rules, unless anything is repugnant in the subject or context—
- (a) "Act" means the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011; (Bihar Act 10, 2011)
- (b) "Central Government" means a Ministry or department of the Central Government;
- (c) "Circle" means a unit of Commercial Taxes administration as specified in the Government notification issued in this behalf from time to time, within the local limits of which an assessee or an employer is situated;
- (d) "Circle Incharge" means the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or the Assistant Commissioner of the Commercial Taxes or the Commercial Taxes Officer, Incharge of the Circle or the officer specially empowered by the Commissioner in this behalf:
- (e) "Commissioner" means the Commissioner of Commercial Taxes appointed under Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and includes an Additional Commissioner of Commercial Taxes appointed under Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;
- (f) "Deputy Commissioner, Commercial Taxes" means a Deputy Commissioner of Commercial Taxes appointed under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;
- (g) "Joint Commissioner, Commercial Taxes" means a Joint Commissioner of Commercial Taxes appointed under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;
- (h) "Ward" means an administrative unit as specified in the order issued by the Commissioner in this behalf from time to time within the area of a circle;
  - (i) "Form" means a Form prescribed under these rules;
- (j) "Government Treasury" means, in relation to an assessee or an employer, the treasury or sub-treasury, as the case may be, of the district or subdivision in which such assessee or employer resides;
  - (k) "Section" means a section of the Act;
  - (I) "State Government" means the Government of Bihar;
  - (m) "Sub-section" means any sub-section of a section of the Act;
  - (n) "Tax" means the tax payable under the Act.
- (2) All other words, terms or expressions not defined herein shall have the same meaning as is assigned to them in the Act.
- 3. Registration. (1) Every employer required to be registered by section 5 shall apply, in Form PT-I, for registration under the Act to the Incharge of the Circle within whose jurisdiction the office of the employer is situated. Such application shall be submitted within seven days of the employer being required to be registered and shall be submitted at the counter of the circle or shall be filed in electronic manner on the

official Web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified:

Provided that such an application for registration by an employer who has employed persons before the coming into force of these Rules shall be made within a period of thirty days of the coming into force of these Rules.

- (2)(a) In case where an application under Sub-rule (1) has been filed in electronic manner, the Incharge of the concerned Circle, after verifying that all the columns of the application have been properly filled in, shall, within fifteen days of the filing of the application, grant a Certificate of Registration in form PT-II.
- (b) The certificate specified in clause (a) shall bear the registration number allotted to the employer by the authority specified in Sub-rule (1) and the said registration number shall be the "Tax Deduction and Collection Account Number," allotted to the employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10":

Provided that in case an employer has not been allotted a Tax Deduction and Collection Account Number under the Income Tax Act, 1961, the registration number shall be the Permanent Account Number, allotted to such employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10".

- (c) The Certificate of Registration shall be sent to the applicant—
- (i) on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity; or
- (ii) By registered post, on the address furnished by him in his application.

*Explanation.*— For the purposes of this sub-rule, the expression "employer" shall mean the Company, firm, society, association of persons, undivided hindu family, body corporate, Board, Authority, Undertaking or Corporation, as the case may be, which has employed persons liable to pay tax under the Act.

- (3)(a) In case where an application under Sub-rule (1) has not been filed in electronic manner, such application shall be submitted at the counter of the concerned circle. The Incharge of the counter, after ascertaining that all the columns of the application have been properly filled in and signed, shall—
  - (i) grant the person a receipt in lieu thereof, and
  - (ii) enter the same in register PT-III maintained in the computer.
- (b) Thereupon the Incharge of the concerned Circle shall, within fifteen days of the filing of the application, grant a Certificate of Registration in form PT-II.
- (c) The certificate referred to in clause (a) shall bear the registration number allotted to the employer by the authority specified in Sub-rule (1) and the said registration number shall be the Tax Deduction and Collection Account Number, allotted to the employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10":

Provided that in case an employer has not been allotted a Tax Deduction and Collection Account Number under the Income Tax Act, 1961, the registration number shall be the Permanent Account Number, allotted to such employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10".

- (d) The Certificate of Registration shall be sent to the applicant—
- (i) on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity; or
- (ii) by registered post, on the address furnished by him in his application.

*Explanation.*— For the purposes of this sub-rule, the expression "employer" shall mean the Company, firm, society, association of persons, undivided hindu family, body corporate, Board, Authority, Undertaking or Corporation, as the case may be, which has employed persons liable to pay tax under the Act.

- (4) In case the person responsible for paying any salary or wages to an assessee under the Act is resident outside the State of Bihar, the application under sub-rule (1) shall be signed by the person in charge of the management in the State of Bihar.
- 4. Enrolment. (1) Every assessee to whom the second proviso to Section 5 and to whom sub-section (2) of section 6 apply, shall apply, in Form PT-IA, for enrolment under the Act to the Incharge of the Circle within whose jurisdiction the assessee resides. Such application shall be submitted within seven days of the assessee being liable to pay tax under the Act and shall be submitted at the counter of the circle or shall be filed in electronic manner on the official Web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified:

Provided that such an application for enrolment by an assessee engaged in any profession, trade, calling or employment before the coming into force of these Rules shall be made within a period of thirty days of the coming into force of these Rules.

- (2) The Certificate of Enrolment shall be in form PT-IIA.
- (3) The provisions of sub-rule (2) and (3) of rule 3 shall apply *mutatis mutandis* to an application for enrolment made under sub-rule (1).
- 5. Deduction of tax from salary or wages. (1) Every employer shall deduct the tax payable by every employee from the salary or wages payable to such employee in respect of the month of September of every year.
- (2) The tax deducted under sub-rule (1) shall be deposited by the employer referred to in sub-rule (1) into Government Treasury in the manner prescribed in rule 7 on or before the fifteenth day of November immediately following the month in which it has been deducted.
- (3) Every employer referred to in sub-rule (1) shall furnish to the prescribed authority a statement in form PT-IV, containing details of the tax deducted by him in respect of a year, on or before the end of the month of November of every year.
- (4)(a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3), in case an assessee —
- (i) becomes liable to pay tax under the Act after the salary or wages for the month of September has been paid to him; or
- (ii) becomes liable to pay a higher amount by way of tax after the salary or wages for the month of September has been paid to him, the employer referred to in sub-rule (1) shall deduct such tax, or the higher amount of tax, as the case may be, shall be deducted by the said employer from the salary or wages payable to the assessee in respect of the month of February following the said month of September.
- (5) The amount of tax deducted under sub-rule (4) shall be deposited by the employer referred to in sub-rule (1) into Government Treasury in the manner prescribed in rule 7 on or before the fifteenth day of April following the month in which it has been deducted.

- (6) Every employer depositing tax under sub-rule (5) shall furnish to the prescribed authority a statement in form PT-V, containing details of the tax deducted by him in terms of sub-rule (4), on or before the end of the month of May of every year.
- (7) Every employer deducting tax under sub-rule (1) or sub-rule (4) shall issue to the employee from whose salary or wages the tax has been deducted, a certificate in form PT-VI.
- (8) The statements referred to in sub-rule (3) or sub-rule (6) shall be filed and be disposed of in such manner as the Commissioner may, by notification, specify.
- (9)(a) Every person to whom the provisions of the second proviso to Section 5 apply shall furnish to his employer a certificate in Form PT-VII before any salary or wages is paid to him by such employer.
- (b) In the event of failure to furnish the certificate specified in clause (a), the employer shall deduct the tax payable from the salary or wages payable to the employee.
- 6. Returns. (1) Every employer registered under the Act shall furnish to the prescribed authority an annual return in form PT-VIII containing details of the tax deducted by him in respect of the year, on or before the end of the month of November of every year.
- (2) Every person enrolled under the Act shall furnish to the prescribed authority an annual return in form PT-IX on or before the end of the month of November of every year.
- (3) The returns referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be filed and be disposed of in such manner as the Commissioner may, by notification, specify.
- 7. Payments. (1) Every person required to pay any tax or interest or penalty under the Act shall pay the amount of tax or interest or penalty into Government Treasury, or any Bank authorized by the Commissioner in this behalf, by Challan in Form PT-X.
- (2) Notwithstanding anything contained in Sub-rule (1), the Commissioner may, by notification, require any person or class or description of persons to pay the amount of tax, interest or penalty in electronic manner through the official website of the Commercial Taxes Department.
- 8. Hearing. (1) The authority referred to in rule 9 shall, in the matter of a proceeding under sub-section (3) of Section 7, serve or cause to be served upon the person proceeded against a notice which shall contain a gist of accusations, a date of hearing which shall in no case be less than seven days nor more than thirty days from the date of issue of notice, and the date of hearing.
- (2) On the date fixed for hearing, the person proceeded against shall be allowed to rebut the accusations on him, or, to reply to the ground or grounds on which the proceeding has been initiated, as the case maybe; but shall not ordinarily be allowed an adjournment. If an adjournment becomes necessary, the authority specified in rule 9 shall record reasons therefor.
- (3) After hearing, the authority referred to in sub-rule (1) shall record an order containing precisely and clearly the gist of accusations, or, the ground or grounds on which the proceeding has been initiated, as the case may be, manner in which the person proceeded against was made aware of that, the reply, if any, furnished, and the decision thereon.

- (4) A true copy of the order passed under sub-rule (3) shall be made over to the person proceeded against.
- 9. Prescribed authority for the purposes of certain Sections of the Act.— The Circle Incharge shall be the Prescribed authority for the purposes of Section 6 and the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner and the Commercial Taxes Officer shall be the Prescribed authority for the purposes of Sections 7, 8, 9 and 14 of the Act.
- 10. Application of certain provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.— The relevant provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall, mutatis mutandis, apply in respect of all such procedural and other matters incidental to carrying out the purposes of the Act for which no provision or insufficient provision has been made in these rules.
- 11. Punishment for violation of rules. Any person who violates any provision of these rules shall be punishable with a penalty not exceeding five hundred rupees and where the violation is continuing, with a penalty not exceeding rupees ten for every day of such violation:

Provided that the prescribed authority imposing such penalty shall allow the person violating the rules, or any provision thereof, an opportunity of being heard.

#### FORM PT-I

## Application for registration under Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades.

Callings	and Employments Act, 2011 (See Rule 3)
Office of the	of Commercial Taxes Circle.
To,	
The	
	Circle.
I	(full Name), son of (full
name) hereby apply for the gran	nt of a registration certificate under Section 5 of the
Bihar Tax on Professions, Trades	s, Callings and Employments Act, 2011 and furnish
following particular for that purpo	se—
(1) Full Name—	
(2) Address (Give details of ho	ouse number/Shop number/Locality/Post Office/Police
Station/ Block/District etc.)	_
(3) PAN—	
(4) Telephone Number—	
(5) Fax number—	
(6) E-mail—	
(7) Date of Tax liability—	
(8) Bank details (Name of Bank	k, Branch Name, Account Number)—
I do hereby declare that t	he particular furnished in this application are correct
and complete to the best of my kn	owledge and belief.
Place	Signature of Applicant
Date	Designation
The application shall be sign	ned by the proprietor of the business if an individual,

by the karta, if an undivided Hindu family; by an authorized partner in the case of a firm; by the Managing Director, Principal Executive Officer or the authorized representative in the case of a company or corporation, by the Principal Executive Officer-in-charge of in the case of a society, club, association, department of Government or local authority.

#### FORM PT- IA

App	olication for enrollment under second proviso to Section 5 and Section 6(2) of the
	Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
	(See Rule 4)
_	Office of the Of Commercial Taxes Circle.
To,	_,
	The
	Circle.
	I (full Name), son of (full
	e) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the
	Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish
	wing particular for that purpose—
(1)	Full Name—
(2)	Address (Give details of house number/Shop number/Locality/Post Office/Police
	Station/ Block/District etc.)—
(3)	PAN—
(4)	Telephone Number—
(5)	Fax number—
(6)	E-mail—
(7)	Date of Tax liability—
(8)	Bank details (Name of Bank, Branch Name, Account Number)—
(9)	Nature of Profession, Trade, Calling or Employment—
	I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct
and o	complete to the best of my knowledge and belief.
Place	Signature of Applicant
Date	Designation
	FORM PT- II
Co	ertificate of registration under Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades,
CC	Callings and Employments Act, 2011
	(See Rule 4)
	Office of the Circle.
	Certified that Sri/Smt is registered under the
Rihar	Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and has been
	ted Registration Number
anou	2. He is liable to pay tax under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and
Emnl	
-	oyments Act, 2011 with effect from
	Signature of the issuing authority
riace	eSignature of the issuing authority  Designation
	Seal of the office
	Seal of the office

#### **FORM PT-IIA**

## Certificate of enrollment under the second proviso to Section 5 and Section 6(2) of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (See Rule 4)

Office of the of Commerci	al Taxes Circle.
Certified that Sri/Smt	is enrolled under the Bihar
Tax on Professions, Trades, Callings and Employme	ents Act, 2011 and has been allotted
Enrollment Number	
2. He is liable to pay tax under the Bihar Ta	x on Professions, Trades, Callings and
Employments Act, 2011 with effect from	
Date	
Place	Signature of the issuing authority
	Designation
	Seal of the office

#### **FORM PT-III**

## Professional tax register under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (See Rules 3 and 4)

	Office of the		of Commer	cial Taxes	Cir	cle.
To,						
	The					
			. Circle.			
	I		(ful	l Name), son of		(full
nam	ne) hereby apply	for the grant	of a registrat	tion certificate und	der Section	5 of the
Biha	r Tax on Profes	sions, Trades,	Callings and	<b>Employments Act</b>	., 2011 and	d furnish
follo	wing particulars f	or that purpos	e-			

Full Name	Address (House number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/Block/District etc.)	PAN
1	2	3

Telephone Number	Fax number	E-mail	Date of liability	Bank details (Name of Bank, Branch Name, Account Number)
4	5	6	7	8

#### **FORM PT-IV**

### Statement of deduction under the Bihar Professional Tax Rules, 2011 (See Rule 5)

- (1) Government: Central/State
- (2) Department/Ministry:
- (3) Name of employer furnishing statement:
- (4) Designation:
- (5) Year:
- (6) Number of persons to whom salary or wages paid during the year:

SI. No.	Name of assessee	Designation	PAN	Income for the year	Tax payable	Tax deducted
1	2	3	4	5	6	7
Total						

I declare that the particulars furnished in this Statement are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this statement.

Date	Signature
Place	Designation

## FORM PT-V Statement of deduction under the Bihar Professional Tax Rules, 2011 (See Rule 5)

- (1) Government: Central/State.
- (2) Department/Ministry:
- (3) Name of employer furnishing statement:
- (4) Designation:
- (5) Year:
- (6) Number of persons to whom salary or wages paid during the year:

SI. No.	Name of assessee	Designation	PAN	Income for the year	Tax payable	Tax already deducted	Tax deducted now
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

I declare that the particulars furnish	hed in this Statement are correct and
complete to the best of my knowledge and be	elief, and that I am competent to sign and
submit this statement.	
Date	Signature
Place	Designation
FORM P	_
Certificate of tax deducted under the Bihar T Employments	Tax on Professions, Trades, Callings and
[( <i>See</i> Rule	•
	(Name) Son of
(Name) have deducted a s	·
salary/wages payable to	
(month and year).	III respect or
	uru/wagas navahla ta tha ahaya nama
	ry/wages payable to the above name
employee for the year is Rs	
	ducted by way of tax has been deposited
by me through Challan No da	
	r the Bihar Tax on Professions, Trades,
Callings and Employments Act, 2011 bearing re	
·	hed in this certificate are correct and
complete to the best of my knowledge and bel	ief.
Date	Signature
Place	
*strike out if not applicable.	
FORM PT	
Certificate under second proviso to Section 5	
Callings and Employ	-
( <i>See</i> Rul	e 5)
To,	
The	
Circle.	
	(Name) Son of
(Name) am enrolled und	er the Bihar Tax on Professions, Trades,
Callings and Employments Act, 20	011 bearing enrollment Number
Further I	am employed with M/S
(Nar	ne of firm) as (designation)
and M/S (Name	of firm) as (designation).
This is to further certified that I will m	yself pay the professional tax payable by
me/have already paid the professional tax pay	vable by me and, accordingly, professional
tax need not be deducted from the salary/wag	
I declare that the particulars furnished in this o	• •
best of my knowledge and belief.	
Date	Signature
Place	Fnrollment Number

#### FORM PT-VIII

### Return under Section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(To be furnished by a person making deduction from salary/wages payable to employees)

[See Rule 6 (1)]

Government: Central/State.
Department/Ministry:

Name of employer furnishing statement:

Registration Number:

Designation:

Year:

- (1) Total number of assesses/employees to whom salary/wages paid:
- (2) Details of deduction:

Income Range	Number of assesses	Total salary/wages paid	Total tax deducted
(a) Less than Rs. 3 lacs			
(b) More than Rs. 3 lacs but less than Rs. 5			
lacs			
(c) More than Rs. 5 lacs but less than Rs.			
10 lacs			
(d) More than Rs. 10 lacs			
Total			

(3)	Total amount paid by way of tax:	
	Amount (Rs.)	Challan No./Cheque/DD No. and Date

(4)	Statement in From PT-IV & PT-V, if any, enclosed
-----	--

I declare that the particulars furnished in this Return are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this Return.

Date	Signature
Place	Designation

#### **FORM PT-IX**

### Return under Section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(To be furnished by a person enrolled under the Act)
[See Rule 6 (2)]

Name:					
	NI	_		_	
	1/1	а	111	$\boldsymbol{\mu}$	-

**Enrollment Number:** 

Name of employer/employers, if any:

Year:

- (1) Total income during the year:
- (2) Tax payable:
- (3) Total amount paid by way of tax:

Amount (Rs.)

Challan No./Cheque/DD No. and Date

10	leclar	e that	the pa	rticular	s furr	nished	in th	s Ret	urn a	are (	corre	ct and	cor	nplet	e to
the best	of my	knowle	edge a	nd beli	ef.										

Date	Signature
Place	Designation
ORIGINAL	DUPLICATE
To be sent by the Treasury to the	

ORIGINAL	DUPLICATE
To be sent by the Treasury to the concerned Circle	To be retained in the concerned Treasury
Form PT-X	Form PT-X
Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
[See Rule 7]	[See Rule 7]
Serial Number	Serial Number
Treasury	Treasury
Name of the Bank	Name of the Bank
Branch Code	Branch Code
Major Head-	Major Head-
Minor Head-	Minor Head-
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
Miscellaneous Receipts under the:	Miscellaneous Receipts under the:
Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
Challan of amount paid to the Bank	Challan of amount paid to the Bank
For the year ending	For the year ending
Name of the Circle to which the payment relates	Name of the Circle to which the payment relates
By whom Tendered:	By whom Tendered:

Payment on account of:	Amount	Payment on accou	unt of:		Amount
Admitted Tax		Admitted Tax			
Interest		Interest			
Penalty		Penalty			
Fees		Fees			
Appeal Fee		Appeal Fee			
Miscellaneous		Miscellaneous			
<u>Total</u>		<u>Total</u>			
Rupees (in words)		Rupees (in words)			
Signature of		Signature of			
For use in the Treasury		For use in the Treasury			
I Received payment of Rs(Rupees)		I Received payment of Rs(Rupees)			
2. Date of entry		2. Date of entry			
Cheque No.		Cheque No.			
Treasury		·			
Accountant	Treasury Officer	Treasury	Accountant	Treas	sury Officer
	Agent/Manager of Bank				Agent/Manager of Bank

TRIPLICATE	QUADRIPLICATE		
To be returned to the dealer/depositor for his own use	To be returned to the dealer/depositor for being forwarded to the appropriate Commercial Taxes authority		
Form PT-X	Form PT-X		
Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011		
[See Rule 7]	[See Rule 7]		
Serial Number	Serial Number		
Treasury	Treasury		
Name of the Bank	Name of the Bank		
Branch Code	Branch Code		
Major Head-	Major Head-		
Minor Head-	Minor Head-		
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011		
Miscellaneous Receipts under the:	Miscellaneous Receipts under the:		

Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011		Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011		
Challan of amount paid to the Bank		Challan of amount paid to the Bank		
For the year ending		For the year ending		
Name of the Circle to which the payment relates		Name of the Circle to which the payment relates		
By whom Tendered:		By whom Tendered:		
Payment on		_,		
account of:	Amount	Payment on account of:	Amount	
Admitted Tax		Admitted Tax		
Interest		Interest		
Penalty		Penalty		
Fees		Fees		
Appeal Fee		Appeal Fee		
Miscellaneous		Miscellaneous		
<u>Total</u>		<u>Total</u>		
Rupees (in words)		Rupees (in words)		
Signature of		Signature of		
For use in the Treasury		For use in the Treasury		
I Received payment of Rs(Rupees)		I Received payment of Rs(Rupees)		
2. Date of entry		2. Date of entry		
Cheque No.		Cheque No.		
Treasury			Treasury	
Accountant	Treasury Officer	Treasury Accountant	Officer	
	Agent/Manager of Bank		Agent/Manager of Bank	

FOR CIRCLE			
To be sent by the Bank to the concerned circle			
Form PT-X			
Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011			
[See Rule 7]			
Serial Number			
Treasury			
Name of the Bank			
Branch Code			

Major Head-				
Minor Head-				
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011				
Miscellaneous Receipts under the:				
Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011				
Challan of amount paid to the Bank				
For the year ending				
Name of the Circle to which the payment relates				
By whom Tendered:				
Payment on account of:	<u>Amount</u>			
Admitted Tax				
Interest				
Penalty				
Fees				
Appeal Fee				
Miscellaneous				
<u>Total</u>				
Rupees (in words)				
Signature of				
For use in the Treasury				
I Received payment of Rs(Rupees)				
2. Date of entry				
Cheque No.				
Treasury				
Accountant	Treasury Officer			
	Agent/Manager of Bank			

[(File No. Bikri-Kar/Anya Kar-04/2011—3747(Anu.)]
By order of the Governor of Bihar,
RAJIT PUNHANI,
Commissioner-cum-Secretary,

Commissioner-cum-Secretary, Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 494-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>